

कार्यालय नगर परिषद, सीकर (राज.)

—: भवन निर्माण अनुज्ञा :—

(राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत)

पत्रावली संख्या :- एफ-7/मन्जुरी/कृषि/बी-191/04.04.2023

क्रमांक :- एफ(7) ()तामीर/2023-24/ 103

दिनांक :- 14.7.23

मैसर्स श्री गोविन्द बिल्डकॉन, सन्मति टॉवर, जाटिया बाजार, सीकर
जरिये अधिकृत भागीदार श्री अनुभव जैन पुत्र श्री नानकराम जैन,
डोलियों का बास, बजाज रोड, सीकर

विषय :- प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2023 बाबत भवन निर्माण अनुज्ञा

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 04.04.2023 के सन्दर्भ में कार्यदेश अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 196, 197, 202, 203, 204, 207 एवं भवन विनियम 2020 के अन्तर्गत निम्नांकित निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ संलग्न नक्शा/नक्शे में किये गये संशोधन के अनुसार सुर्ख लाल रंग में अंकित भाग में बेसमेन्ट (पार्किंग), ग्राउण्ड व प्रथम तल की व्यावसायिक एवं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम तल की आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा दी जाती है :-

1. यह स्वीकृति Subject to Civil Rights होगी।
2. यह निर्माण अपने स्वामित्व की भूमि पर ही किया जावेगा। सरकारी/परिषद की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावेगा, अन्यथा बिना नोटिस हटवा दिया जावेगा। जिसका हर्जा-खर्चा भवन मालिक से वसूला जावेगा।
3. सरकारी/परिषद की भूमि पर चबूतरा/अतिछाजन अथवा नाली पर सीढ़ी अथवा पायदान नहीं बनाया जावेगा अन्यथा बिना नोटिस के हटवा दिया जावेगा। जिसका हर्जा-खर्चा भवन मालिक से वसूला जावेगा।
4. फलश तहारत का ही निर्माण किया जावेगा तथा सेप्टिक टैंक/सोकपिट अपनी स्वयं की भूमि में ही निर्मित किया जावेगा। बिना फलश की तहारत निर्मित किये जाने पर बिना नोटिस हटवा दिया जावेगा। जिसका समस्त हर्जा-खर्चा भवन मालिक से वसूला जावेगा।
5. भवन में जितने परनाले रखे जावेंगे, उन सभी परनालों को पाईपों के माध्यम से जोड़कर वर्षा जल संग्रहण संरचना से जोड़ा जायेगा।
6. गन्दे नाले/नाली की 50 फुट की दूरी तक पुख्ता नाली बनाकर परिषद की नाली में मिलाना होगा। जहां परिषद की नाली नहीं हो पुख्ता होदी बनाकर अथवा पर्याप्त सोकपिट बनाया जावेगा।
7. अनुज्ञाधारी द्वारा नगर परिषद की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये गढ़े हुए या कूटरचित या मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा गलत और मिथ्या कथन किया है अथवा शपथ-पत्र में सारवान तथ्यों को छिपाया है तो वह सुसंगत विधियों के अधीन गढ़न, कपट और छिपाव के लिये अभियोजित किये जाने का दायी होगा। उक्त कार्य में लिप्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अविलम्ब दण्डात्मक कार्यवाहियां आरम्भ की जावेगी।
8. भवन निर्माण प्रारम्भ करने के 6 माह के भीतर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आशय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी।
9. नगर पालिका क्षेत्र के भीतर, कोई संनिर्माण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या अभिकरण, कोई भी निर्माण आरम्भ करने के पूर्व, प्रस्तावित संनिर्माण से संबंधित निम्नलिखित विशिष्टियां, भवन-स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, किसी भी दृढ़ बोर्ड से बने (4'-0" X 4'-0") के आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा :-

23. यह निर्माण संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये सेटबेक को छोड़कर करना होगा। छुड़वाये गये सेटबेक एवं सड़क विस्तार के लिये नगर परिषद को समर्पित भूमि में किसी भी प्रकार के निर्माण को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त करवा दिया जायेगा।
24. भवन की कुर्सी एवं छत की ऊँचाई संलग्न मानचित्र में भवन विनियम-2020 के प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है। अतः मानचित्र में दर्शित ऊँचाई के अनुसार रखनी होगी।
25. भवन निर्माण के दौरान समय-समय पर नगर परिषद सीकर के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जावेगा एवं निरीक्षण के दौरान यदि आवश्यक समझा जाये तो भवन के संबंध में अतिरिक्त सूचना जहाँ आवश्यक हो मांगी जा सकती है।
26. निर्माण कार्य के दौरान आंशिक अधिवास प्रमाण-पत्र भवन अनुज्ञा के अनुसार आधा निर्माण होने पर जारी किया जावेगा। यदि अनुज्ञाधारी द्वारा जनसुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी के उपाय कर लिये हो।
27. निर्माण कार्य पूर्ण होने के 7 दिवस में अनुज्ञाधारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना देनी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
28. यदि अनुज्ञाधारी मंजूर योजना के उल्लंघन में या उस पर अधिरोपित मानको, शर्तों, निर्बंधनों का अतिक्रमण करते हुए निर्माण या पुनर्निर्माण आरम्भ करता है, या जारी रखता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पर, ऐसे साधारण कारावास से, पन्द्रह दिन से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
29. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 196, 197, 202, 203, 204, 207 एवं भवन विनियम 2020 के आपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
30. सम्बन्धित पत्रावली में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होने पर या कोई गलत दस्तावेज/तथ्य पाये जाने पर या तामीर स्वीकृति के विपरीत निर्माण करने पर परिषद द्वारा जारी तामीर स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
31. बेसमेन्ट में ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिए परिसंकटमय या हानिकारक हो के उपयोग में नहीं लिया जायेगा।
32. दुकान/फ्लैट्स विक्रय किये जाने की रजिस्ट्री नगर परिषद कार्यालय की गृहकर शाखा में प्रस्तुत करें, अन्यथा गृहकर की राशि भू-स्वामी से वसूल की जायेगी।

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

संलग्न : नक्शा

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. श्री सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक (अतिक्रमण प्रभारी)/स्वास्थ्य निरीक्षक/मिस्ट्री हल्का को एक प्रति नक्शा सहित इन निर्देशों के साथ भेजी जाती है कि हल्का निर्माण स्वीकृति के अनुसार किये जाने की देखरेख एवं निगरानी रखें तथा निर्माण खिलाफ मंजूरी व किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल कार्य बन्द करवाकर रिपोर्ट करेंगे तथा निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर कार्य स्वीकृत एवं शरायत के अनुसार पूरा हो जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

- I. संनिर्माण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं
- II. भवन-स्थल की विशिष्टियां जिनमें स्वामी का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं
- III. नगर परिषद या किसी भी अन्य प्राधिकारी या नगर सुधार न्यास से प्राप्त की गयी अनुज्ञा का संख्यांक और तारीख, यदि अपेक्षित हो
- IV. प्रस्तावित संनिर्माण की प्रमुख विशिष्टियां अर्थात् प्रस्तावित उपयोग, तलों की कुल संख्या, इकाइयों की संख्या, संनिर्माण का वर्ग फुट में प्रस्तावित क्षेत्र, सार्वजनिक पार्किंग इकाइयों की संख्या
- V. संनिर्माण प्रारम्भ करने और समाप्त करने की तारीख और भवन निर्माण की अनुज्ञा अपेक्षित न होने के मामले में कारण।

जो कोई भी उक्त उप धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रुपये तक का हो सकेगा।

10. भवन निर्माण या किसी भवन को गिराने का या किसी भवन के बाह्य भाग को परिवर्तित करने या उसकी मरम्मत करने का आशय रखते हैं, किसी भाग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की सम्भावना हो सकती है तो वह ऐसा कार्य आरम्भ करने से पूर्व नगर परिषद से लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा और मार्ग से उस भवन को, जहां पर ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, अलग रखने के लिए पर्याप्त होर्डिंग या बाड़ लगवायेगा और ऐसे समय के दौरान जो लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए अपेक्षित हो, ऐसा बोर्ड या होर्डिंग को नगर परिषद के समाधानप्रद रूप में खड़ी हुई और अच्छी हालत में रखेगा और उसे रात्रि में पर्याप्त रूप से प्रकाशित करवायेगा और जब नगर परिषद द्वारा निर्दिष्ट किया जाये तो उसे हटा देगा।
11. निर्माण का कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किया जावेगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन के लिये पृथक् से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. यह अनुज्ञा स्वीकृति की तिथि से केवल 3 वर्ष के लिये प्रभावशाली रहेगी। अवधि समाप्त हो जाने पर पुनः स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. मौके पर किसी भी और विद्यमान चालु विद्युत लाईन से न्यूनतम दूरी इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार होगी।
14. वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण अनिवार्य हैं। जिसके अन्तर्गत निम्न में से किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण किया जा सकता है।
(अ) भूतल पर वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्लॉट के आकार के अनुरूप भूमिगत टॉके का निर्माण
(ब) वर्षा जल के भूजल स्तर के पुनर्भरण हेतु संरचना का निर्माण।
15. भवन की अधिकतम ऊँचाई देय अनुज्ञा के अनुसार ही होगी।
16. भवन में आपात कालीन दरवाजे, खिड़किया रखी जावें।
17. भवन में अग्निशमन व विद्युत सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबन्धों में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
18. निर्माण कार्य किसी सक्षम तकनीकीविज्ञ की देखरेख में करेंगे। जिसकी पुष्टि स्वरूप तकनीकीविज्ञ का प्रमाण-पत्र तीन चरणों (डी.पी.सी. लिन्टल, कम्पलेशन ऑफ बिल्डिंग) में प्रस्तुत करना होगा।
19. भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करना होगा। उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
20. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा।
21. स्थानीय निकाय द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
22. पार्किंग भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।



उक्त स्वीकृति किसी भी प्रकार से आवेदक के पक्ष में सम्यक्ति के हक का सृजन करने की कोटि की श्रेणी में नहीं आवेगी।

कायदा नम्बर 191 दिनांक 04.04.2023
समीक्षा क्रमांक 103 दिनांक 14.07.23
नमः भद्र पते पर 65, अक्षय नगर, वीश्वरानगर, सिकर
प्रकरण के मालिक को पीछे के भाग पर संकेत की गई सभी दृष्टिगत के अन्तिम मान्य विवरण स्वीकृत जारी की जाती है।
हस्ताक्षर अधिकारी सहायक अभियंता, सिकर नगर, सिकर

R O A D

42'-6"

PLOT LINE

SETBACK LINE

SETBACK LINE

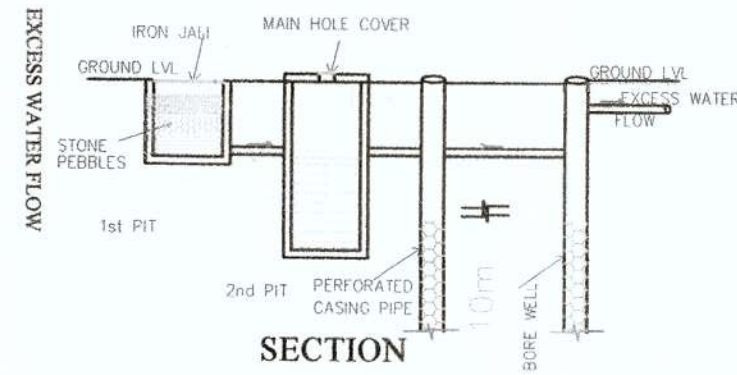
R O A D

PROPOSED BUILDING

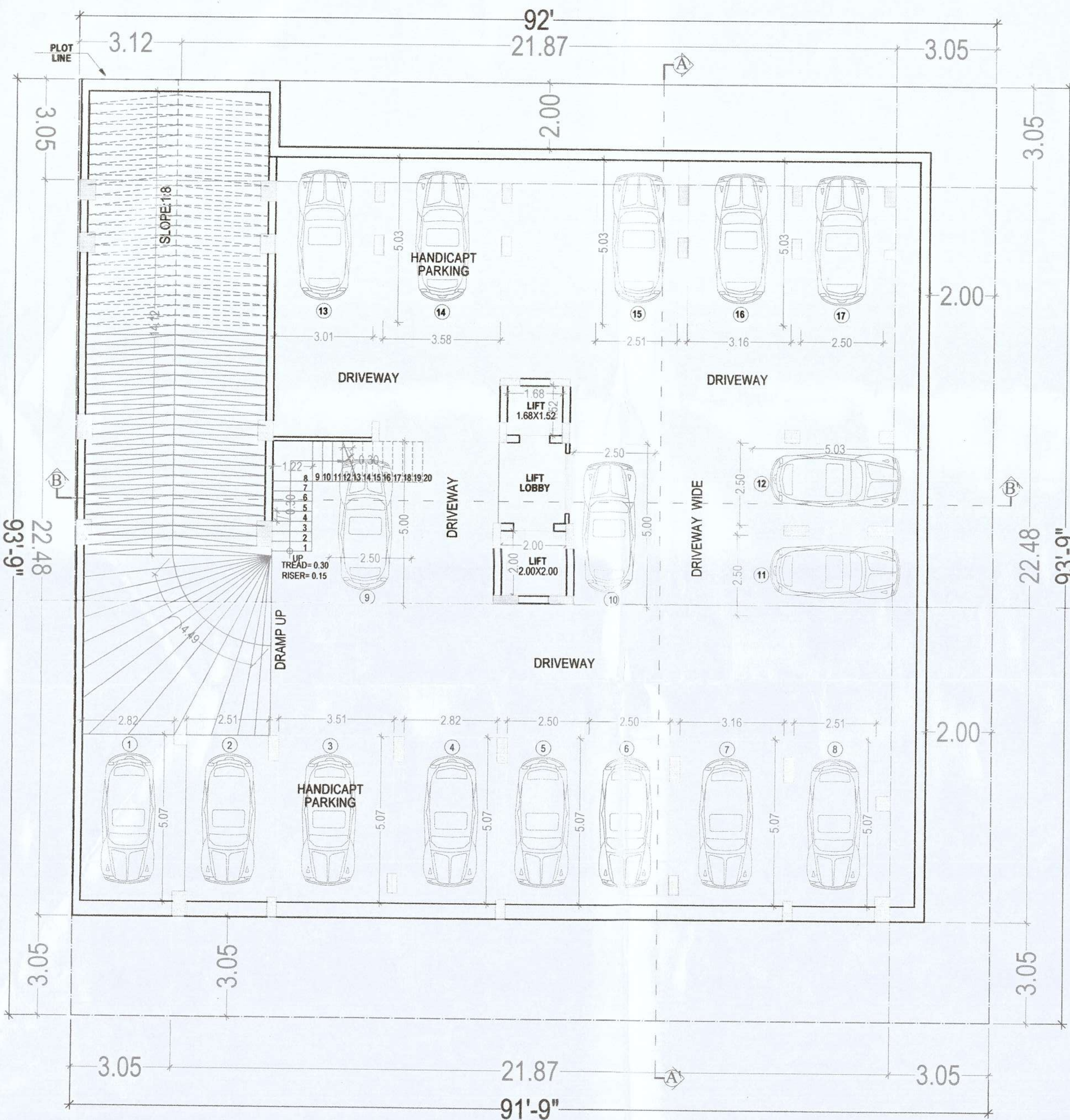
PLOT LINE

North

SITE PLAN



LOCATION PLAN

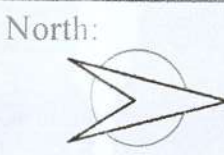


BASEMENT PLAN

SHEET NO. -1

Project:
Proposed Building at Khasra no.-1203
Ward No.-8, Doliyon Ka bas, Bajaj
Road, Sikar.

Drawing:
Site Plan & Basement Floor Plan



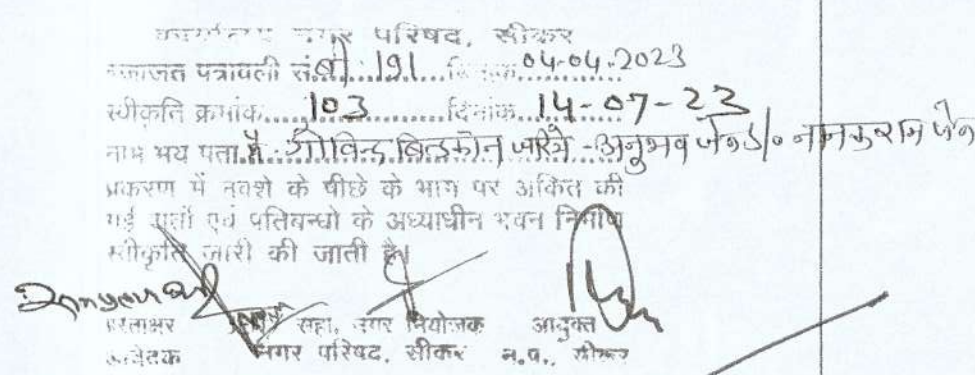
ADDRESS:
Plot no. 65, Acme Heights, Vishwaswaria Nagar,
Behind D.C. Hospital, Triveni nagar,
Gopalpura bye-pass Jaipur, Rajasthan
ph: 0141-2763533, 9828117586

E-mail: sunil@designspaceconsultants.com
Website: www.designspaceconsultants.com

OWNER

ARCHITECT

Dr. SUNIL KUMAR JAIN
COUNCIL OF ARCHITECTURE
GAC/14/6400



אוריאל

—29—

A

0

2

—40—

—29'-7"

PLOT LINE

R O A D

GROUND FLOOR PLAN

PLOT AREA = 800.41 SQ.M.
PERMISSIBLE B.A.R. - 2

S.NO.	FLOOR	B.A.R. SQ.M.	GROSS BUILTUP AREA SQ.M.
1.	BASEMENT	-	622.96
2.	GROUND	476.39	476.39
3.	FIRST	603.34	603.34
4.	SECOND	580.68	580.68
5.	THIRD	575.69	575.69
6.	FOURTH	575.69	575.69
6.	FIFTH	575.69	575.69
6.	TERRACE	-	74.55
	TOTAL	3387.48	3509.30

REQUIRED PARKING
COMMERCIAL

GROUND FLOOR + FIRST FLOOR B.A.R.
1079.73/75 = 14.39 E.C.U.
GUEST PARKING (25%) = 3.59
TOTAL PARKING = 14.39 + 3.59 = 17.98 E.C.U. = 18 E.C.U.

RESIDENTIAL
SECOND FLOOR + TYPICAL FLOOR B.A.R.
 2307.75/115 = 20.06 E.C.U.
 GUEST PARKING (10%) = 2.00
 TOTAL PARKING = 20.06 + 2.00 = 22.06 E.C.U. = 22 E.C.U.
 TOTAL E.C.U. = 18+22= 40
 75% CARS = 40X0.75 = 30 CARS
 25% SCOOTER = 40-30= 10X3 = 30 SCOOTERS

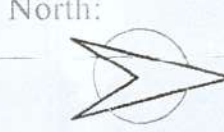
PROVIDED PARKING
22 CARS
38 SCOOTERS

Project:
Proposed Building at Khasra no.-1203
Ward No.-8, Doliyon Ka bas, Bajaj
Road, Sikar.

Drawing:

Ground & First Floor Plan

North:



ADDRESS:
Plot no. 65, Acme Heights, Visheswaria Nagar,
Behind D.C. Hospital, Triveni nagar,
Gopalpura bye-pass Jaipur, Rajasthan
ph: 0141-2763533, 9828117586

E-mail: sunil@designspaceconsultants.com
Website: www.designspaceconsultants.com

OWNER

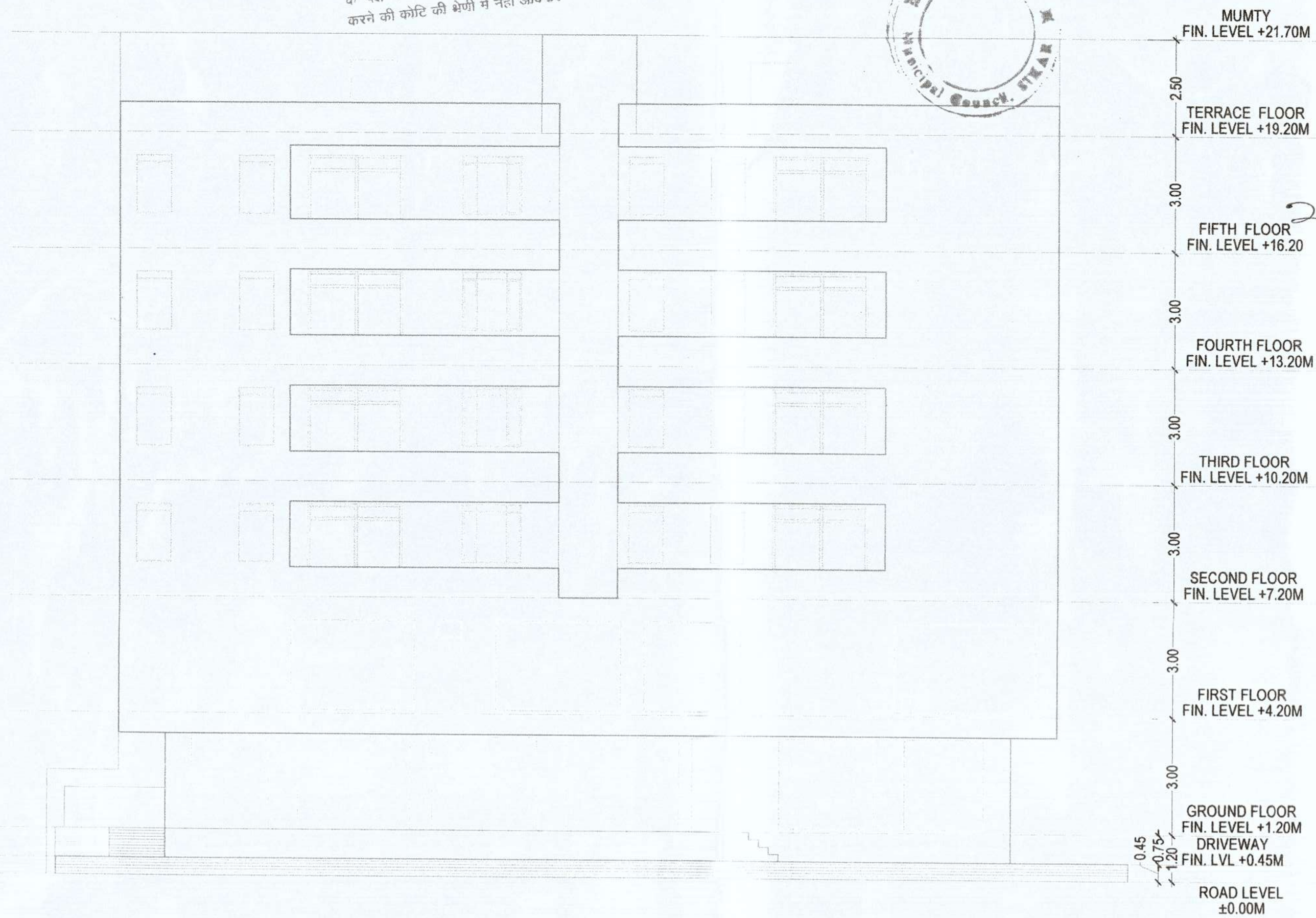
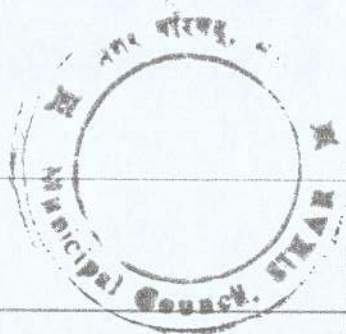
ARCHITECT

FIRST FLOOR PLAN

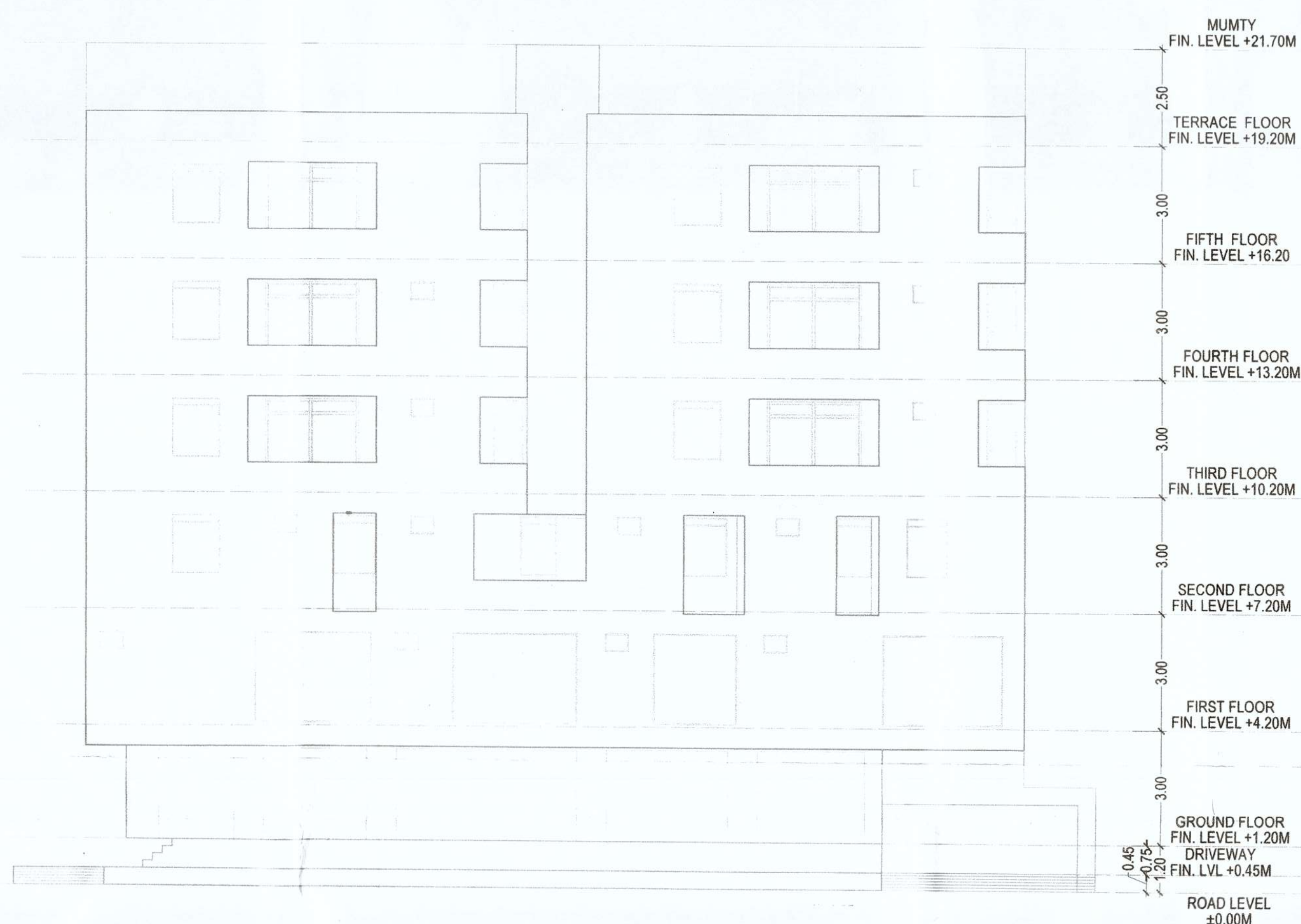
Sd/-
SUNIL NIRMAL KUMAR JA
COUNCIL OF ARCHITECTURE
6A/22/94/14602



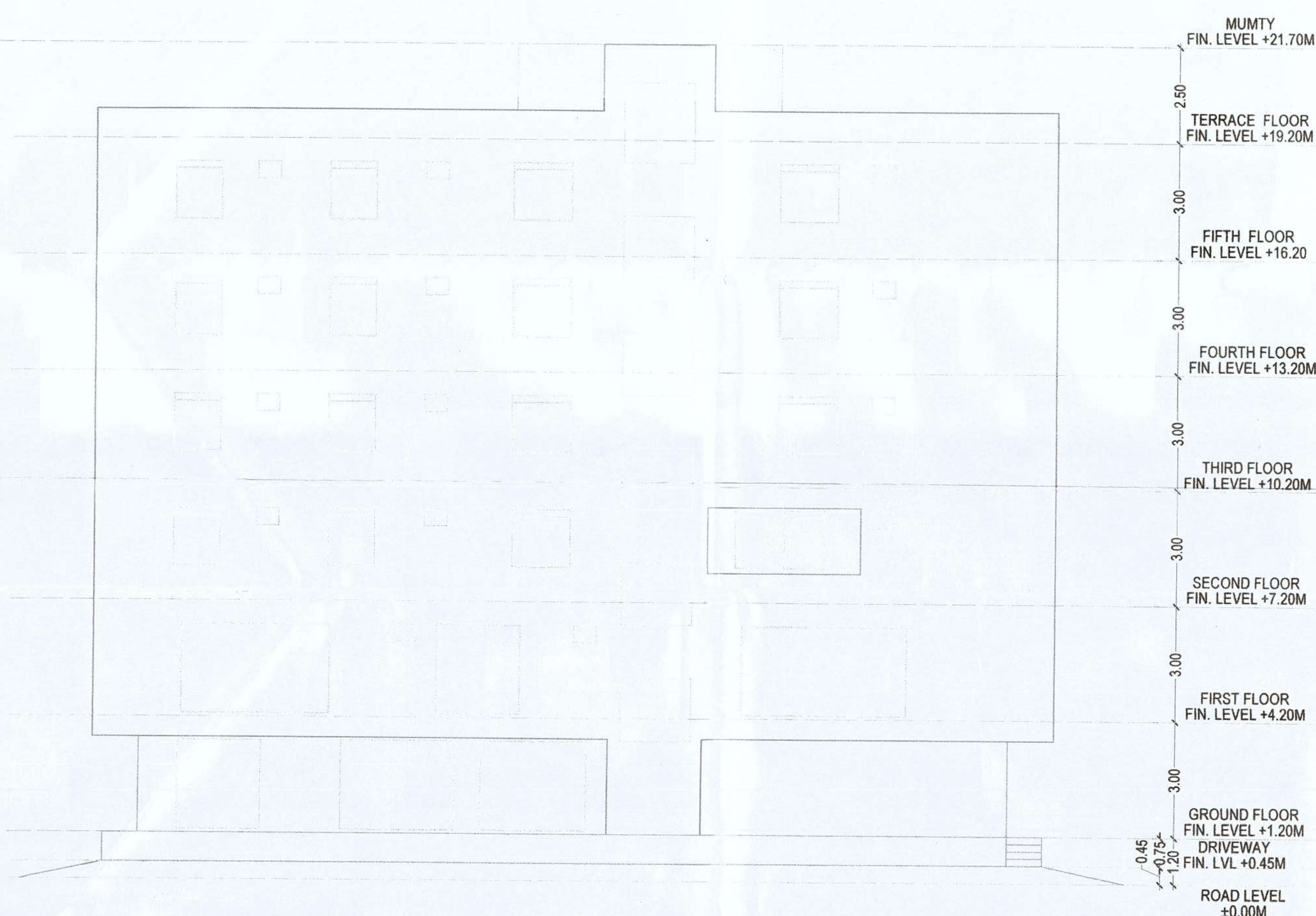
Sd/-
SUNIL NIRMAL KUMAR JAIN
JOINT JOINT OF ARCHITECTURE
01224180092



EAST ELEVATION



WEST ELEVATION



NORTH ELEVATION

North:

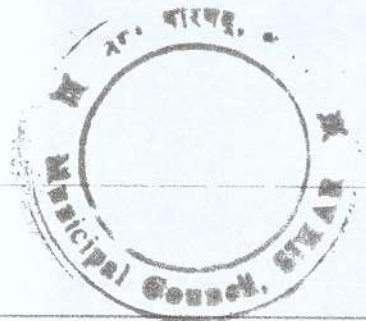


E-mail: sunil@designspaceconsultants.com
Website: www.designspaceconsultants.com

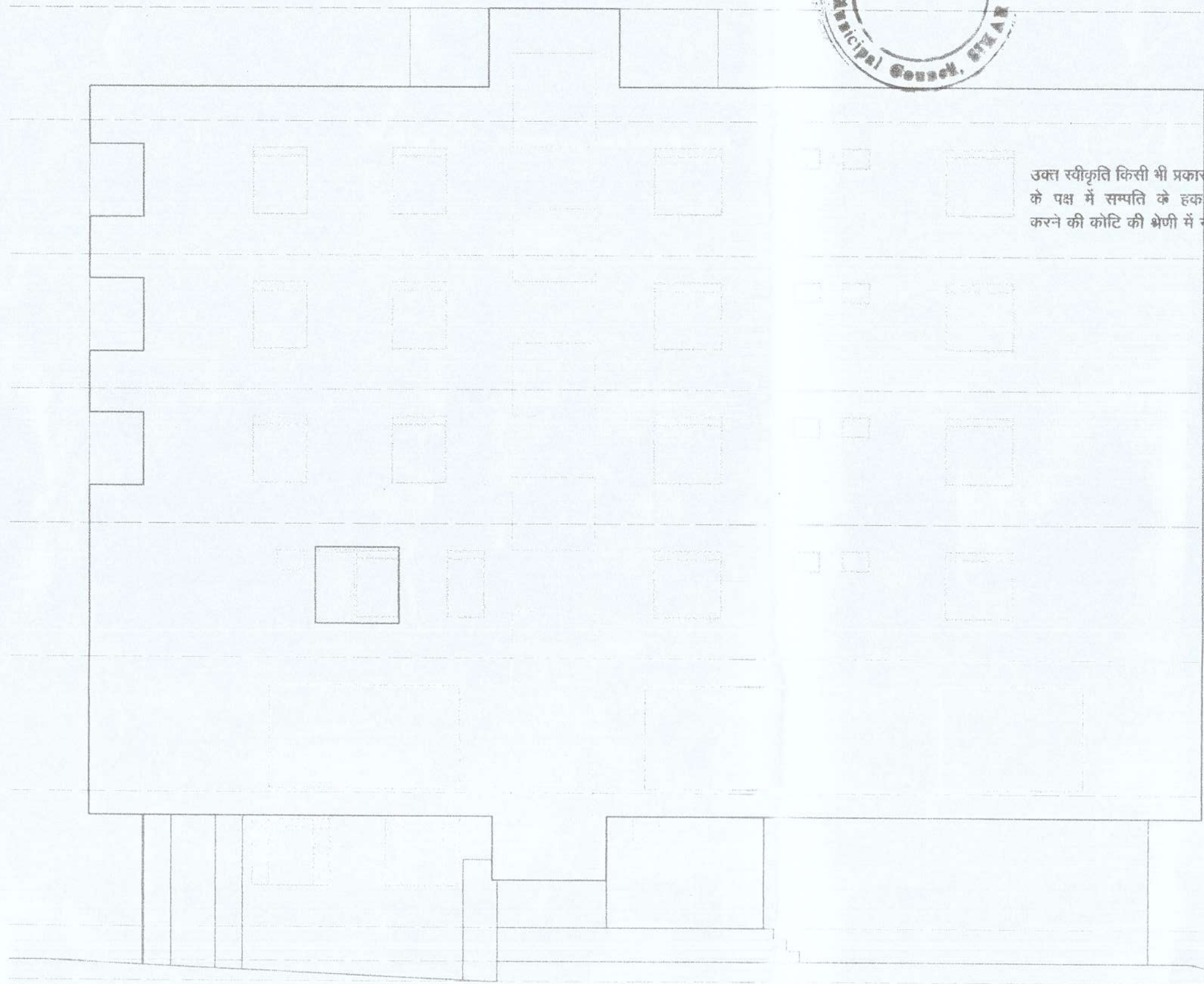
OWNER

ARCHITECT

Dr. SUNIL KUMAR JAIN
GOVT. OF ARCHITECTURE
6/12/2016



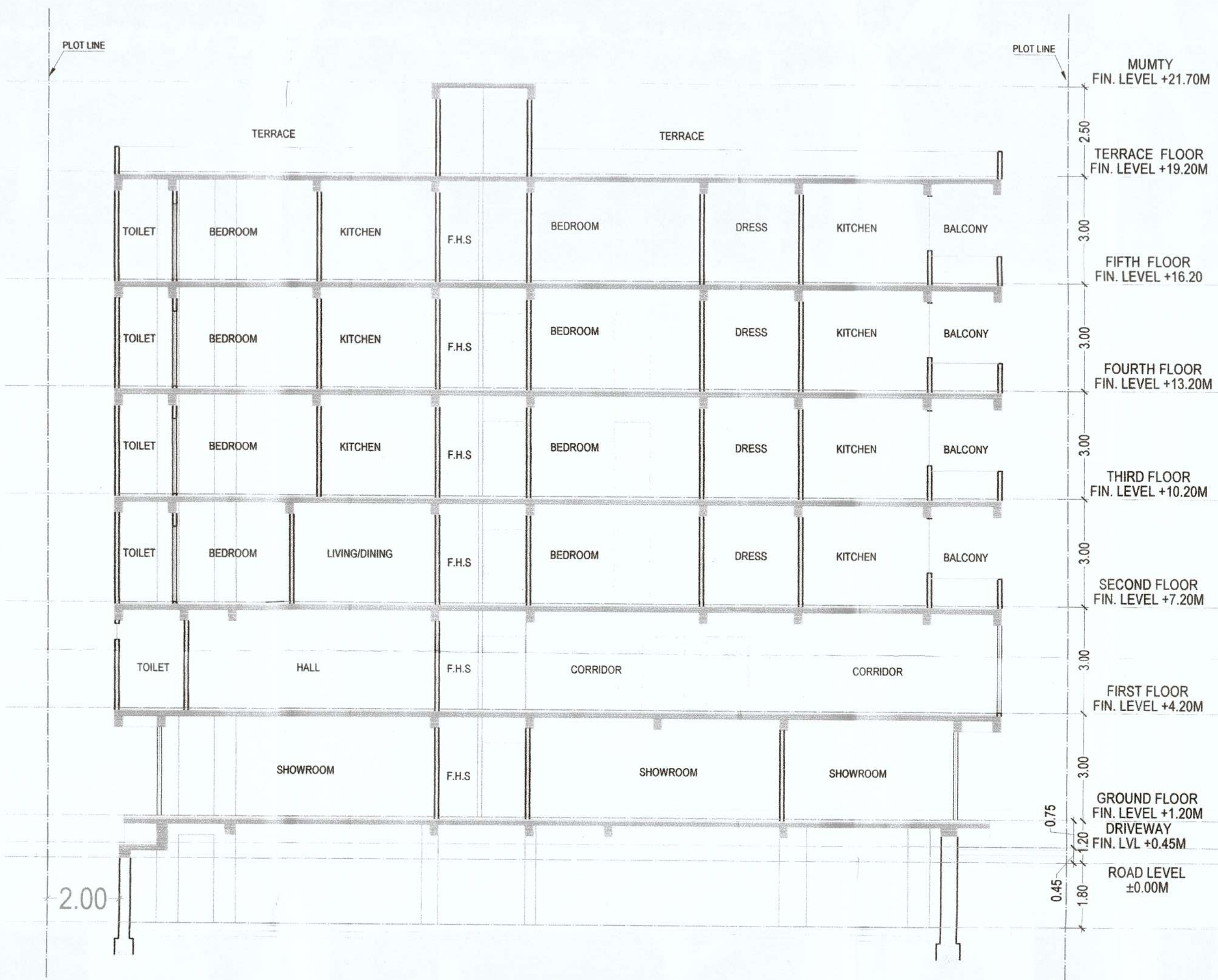
कार्यालय मध्य प्रदेश, सीकर
इलाहाबाद पत्रावली नं. 131 दिनांक 04-04-2023
स्वीकृति प्रमाणित दिनांक 14-07-23
मात्र मध्य प्रदेश, सीकर, जिला, नगर
प्रकरण में नगर के बीच के बाग में नगर की
नई शहरी एवं प्रतिबंधों के अधीन नगर निगम
स्वीकृति जारी की जायेगी।
सहायक नगरपालिका अधिकारी
सिकर नगरपालिका, सीकर, मध्य प्रदेश



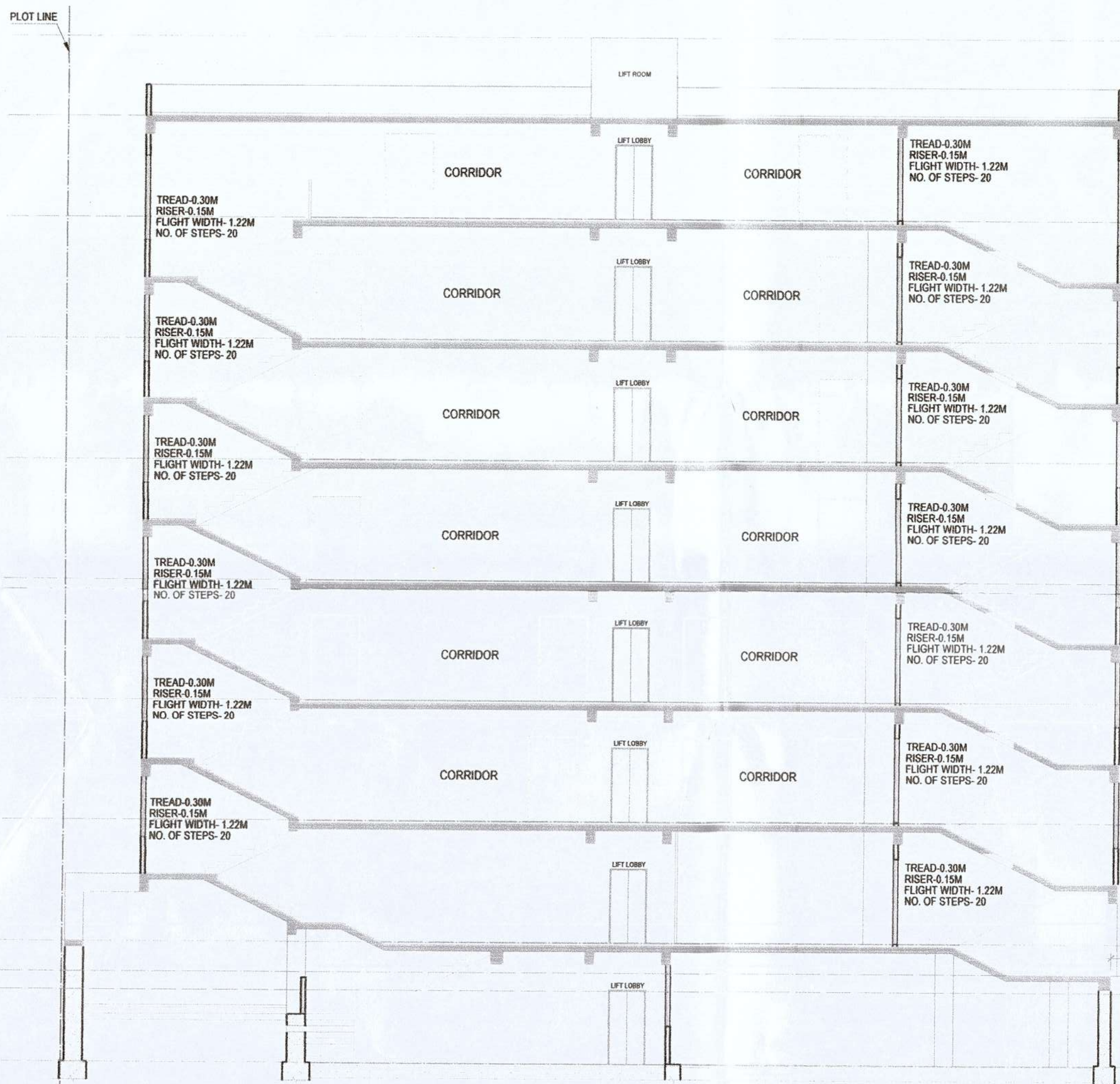
उक्त स्वीकृति किसी भी प्रकार से आवेदन के पक्ष में सम्पत्ति के हक का राजन करने की कोटि की श्रेणी में नहीं आयेगी।

MUMTY
FIN. LEVEL +21.70M
TERRACE FLOOR
FIN. LEVEL +19.20M
FIFTH FLOOR
FIN. LEVEL +16.20
FOURTH FLOOR
FIN. LEVEL +13.20M
THIRD FLOOR
FIN. LEVEL +10.20M
SECOND FLOOR
FIN. LEVEL +7.20M
FIRST FLOOR
FIN. LEVEL +4.20M
GROUND FLOOR
FIN. LEVEL +1.20M
DRIVEWAY
FIN. LVL +0.45M
ROAD LEVEL
±0.00M

SOUTH ELEVATION



SECTION A-A'

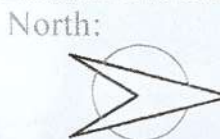


MUMTY
FIN. LEVEL +21.70M
TERRACE FLOOR
FIN. LEVEL +19.20M
FIFTH FLOOR
FIN. LEVEL +16.20
FOURTH FLOOR
FIN. LEVEL +13.20M
THIRD FLOOR
FIN. LEVEL +10.20M
SECOND FLOOR
FIN. LEVEL +7.20M
FIRST FLOOR
FIN. LEVEL +4.20M
GROUND FLOOR
FIN. LEVEL +1.20M
DRIVEWAY
FIN. LVL +0.45M
ROAD LEVEL
±0.00M

SECTION B-B'

Project:
Proposed Building at Khasra no.-1203
Ward No.-8, Doliyon Ka bas, Bajaj
Road, Sikar.

Drawing:
South Elevation & Sections



**Design
Space**
Consultants
Architects & Interior Designer

ADDRESS:
Plot no. 65, Acme Heights, Visheswaria Nagar,
Behind D.C. Hospital, Triveni nagar,
Gopalpura bye-pass Jaipur, Rajasthan
ph: 0141-2763533, 9828117586

E-mail: sunil@designspaceconsultants.com
Website: www.designspaceconsultants.com

OWNER

ARCHITECT

Ar. SUNIL KUMAR JAIN
Architect
Design Space Consultants